फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नाथू बाई **विपक्षी** : श्री बाबरू मीणा

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र **प्रकरण संख्या** : 56 / 2023 सन् 2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	दिनांक : 29.04.2026 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नो–इन्स्ट्रक्शन किए जाने के बाद मूल वाद में प्रार्थी को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से मूल वाद खारिज हो चुका है। जिससे इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। न्यायालय द्वारा रूक रूककर प्रार्थी को तीन बार आवाजें लगवाई गई, बावजूद इसके न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि प्रार्थी अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है तथा आगे कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 जा. दी. के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (अवुला साईकृष्ण) आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर	